महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

बनाम

डॉ. मारोती पुत्र काशीनाथ पिंपलकर

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील 2022 का नंबर 1874.
बॉम्बे में न्यायिक उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश से, नागपुर में सीआरएलए (एपीएल) संख्या। 841/2019.
संजय खर्डे, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, सलाहकार. अपीलकर्ताओं के लिए.
अनिल मर्दिकर, वरिष्ठ वकील, सुमीत जोशी, सचिन शनमुखम पुजारी, सलाह. प्रतिवादी के लिए. न्यायालय का निर्णय सुनाया गया सी. टी. रविकुमार, न्यायाधीश

1. अनुमति प्रदान की गयी ।

2. **शालू ओझा बनाम प्रशांत ओझा** में इस न्यायालय ने कहा: "यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जहां घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम , 2005 के प्रावधान केवल संसद की एक पवित्र आशा और अपीलकर्ता के लिए एक चिढ़ाने वाला भ्रम बनकर रह गए हैं।" उन शब्दों को उधार लेते हुए भी, हम कह सकते हैं, नाराज नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से पीडित है, क्योंकि एक अन्य अधिनियम, जैसे कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में "POCSO अधिनियम") के तहत एक वैध अभियोजन को दहलीज पर दबा दिया गया है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में सीआरपीसी०) की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग , नाबालिग के खिलाफ यौन उत्पीड़न के अपराध के संबंध में इसके समर्थन में सामग्री को दिन के उजाले में देखने की अनुमति दिए बिना। गर्ल्स हॉस्टल में आदिवासी लड़कियाँ। आक्षेपित निर्णय के अनुसार, बॉम्बे, नागपुर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 2019 के आपराधिक आवेदन (एपीएल) संख्या 841 दिनांक 20.04.2021 में राजुरा पुलिस स्टेशन की 2019 की एफआईआर संख्या 185 दिनांक 12.04.2019 और अंतिम रिपोर्ट को रद्द कर दिया। उस पर सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत मामला दर्ज किया गया । प्रतिवादी की योग्यता। उक्त प्रारंभिक टिप्पणियों का कारण तथ्यात्मक वर्णन और इसके बाद किए जाने वाले कानूनी विश्लेषण से स्पष्ट हो जाएगा।

3. उक्त आरोप पत्र राजुरा पुलिस स्टेशन, जिला चंद्रपुर में दर्ज एफआईआर संख्या 185/2019 की जांच की गयी । जिसमे भारतीय दंड संहिता , 1860 की धारा 376AB, POCSO अधिनियम की धारा 4 और 6 , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (रोकथाम) की धारा 3(1) (w) और 3(2)(v) के तहत अपराधों के लिए (अत्याचार) अधिनियम, 1989 और महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट और अघोरी प्रथाओं और काला जादू रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम, 2013 की धारा 3। हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि यह उन धाराओं के तहत पहले पांच आरोपियों के खिलाफ दायर किया गया था और दरअसल, धारा 19(1) के तहत कानूनी दायित्व के अनुपालन में, POCSO अधिनियम (तब, निश्चित रूप से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा) के तहत अपराध के कमीशन की रिपोर्ट करने में विफलता के लिए, प्रतिवादी को इसके तहत 6 वें आरोपी के रूप में आरोपित किया गया था। ) POCSO अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत दंडनीय है।

4. कथित एफआईआर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ नाबालिग आदिवासी लड़कियों के खिलाफ यौन अपराध करने के आरोप में दर्ज की गई थी, जो इन्फैंट जीसस इंग्लिश पब्लिक हाई स्कूल, राजुरा की गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं थीं। शिकायत एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, चंद्रपुर के सहायक परियोजना

अधिकारी, राजेश तुलसीदास धोतकर द्वारा दर्ज की गई थी। अपीलकर्ता के अनुसार, 06.04.2019 को उक्त अधिकारी को उक्त छात्रावास के अधीक्षक छबन पांडुरंग पचारे से टेलीफोन पर सूचना मिली, जो एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, चंद्रपुर के नियंत्रण में है कि एक लड़की तीसरी कक्षा में पढ़ती है और दूसरी उक्त विद्यालय के 5 वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने तुरंत उस अस्पताल का दौरा किया जहां उन्हें भर्ती कराया गया था। बाद में, उन्हें पत्र संख्या 3392/2019 दिनांक 10.02.2019 प्राप्त हुआ जिसमें खुलासा हुआ कि छात्रों को उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण ग्रामीण अस्पताल राजुरा से सामान्य अस्पताल, चंद्रपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। जनरल हॉस्पिटल, चंद्रपुर से इस आशय का मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया गया कि यौन शोषण का संदेह है। इसके बाद, परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, चंद्रपुर ने उन्हें शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया और तदनुसार, इसे रखा गया। हम इस समय बता सकते हैं कि आपराधिक आवेदन (एपीएल) संख्या 841/2019 के अनुसार, वर्तमान अपील के साथ संलग्नक–पी3 के रूप में दायर किया गया, पीड़ितों के माता–पिता अपराध की जांच से खुश नहीं थे

और उन्होंने आपराधिक मामला दायर किया। रिट याचिका संख्या 342/2019 और उसके बाद, अंतिम रिपोर्ट/चार्ज–शीट संख्या 43/2019 दिनांक 08.06.2019 दायर की गई।

5. अब, अपीलकर्ता के मामले पर लौटते हुए, यह इस आशय का है कि जांच के दौरान, उपरोक्त छात्रावास के अधीक्षक और चार अन्य, अर्थात् नरेंद्र लक्ष्मणराव विरुलकर, सौ नीता उर्फ कल्पना महादेव ठाकरे, सौ लता मधुकर कन्नाके, वेंकटस्वामी बोंडैया जंगम को गिरफ्तार कर लिया गया और अपराध में आरोपी के रूप में पेश किया गया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने 17 नाबालिग लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उनकी मेडिकल जांच में हाइमन टूटना पाया गया. यहां प्रतिवादी उक्त गर्ल्स हॉस्टल में भर्ती लड़कियों के इलाज के लिए नियुक्त मेडिकल प्रैक्टिशनर है और पीड़ित लड़कियों को उसके पास ले जाया गया था। जांच से पता चला कि प्रतिवादी को घटित घटनाओं के बारे में पीड़ितों से ही जानकारी थी, जैसा कि पीड़ित लड़कियों ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए अपने बयानों में प्रतिवादी को अपने ऊपर हुए यौन उत्पीड़न के बारे में खुलासा किया था। वास्तव में, कुछ पीड़ितों ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए अपने बयानों में विशेष रूप से इसका खुलासा किया था, जिसके बारे में जानकारी मिलने पर प्रतिवादी POCSO अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत प्रावधानों के संदर्भ में कानूनी दायित्व के तहत था। POCSO अधिनियम के तहत अपराध करना, या तो विशेष किशोर पुलिस इकाई को ऐसी जानकारी प्रदान करना या स्थानीय पुलिस चुप रहना और आरोपी की मदद करने के लिए ऐसी जानकारी प्रदान नहीं करना, उसके खिलाफ आरोप का सार है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, जांच के बाद आरोप पत्र भी दाखिल किया गया. प्रतिवादी को उपरोक्त अपराध में आरोपी नंबर 6 के रूप में आरोपित किया गया है।

6. उक्त अपराध के संबंध में गिरफ्तारी की आशंका से, प्रतिवादी ने एलडी के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की। 10.06.2019 को सत्र न्यायाधीश और 25.06.2019 को इसे खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई और उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति दी और उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। इसके बाद, प्रतिवादी ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक आवेदन (एपीएल) संख्या 841/2019 दायर कर दिनांक 12.04.2019 की एफआईआर और दिनांक 08.06.2019 की चार्जशीट को उस हद तक रद्द करने की मांग की, जिस हद तक वे उसके खिलाफ हैं। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित किया और प्रतिवादी की एफआईआर और आरोपपत्र को भी रद्द कर दिया। इसलिए, यह अपील.

7. आक्षेपित फैसले के खिलाफ चुनौती के गुण–दोष पर विचार करने से पहले, जिसके तहत और जिसके तहत कथित एफआईआर और आरोप पत्र को रद्द कर दिया गया था, हम कुछ पहलुओं और धारा 482 सीआर के तहत शक्ति के प्रयोग के दायरे के संबंध में स्थिति का उल्लेख करना उचित समझते है । सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग एक अपवाद है और नियम नहीं है और इसका प्रयोग पूर्व डेबिटो जस्टिटिया के प्रशासन के लिए वास्तविक और पर्याप्त न्याय करने के लिए किया जाना है, जिसके प्रशासन के लिए अकेले न्यायालय मौजूद हैं। इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा बार–बार कहा और दोहराया गया है।

8. इस न्यायालय ने **आरपी कपूर बनाम पंजाब राज्य** के फैसले में कहा कि उच्च न्यायालय हरियाण राज्य में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए यह जांच नही कर सकते है कि सबूत विश्वसनीय है या नही । **हरियाणा राज्य एवं अन्य बेनाम भजन लाल** और अन्य पैराग्राफ 102 में इस न्यायालय ने माना कि रद्द करना उचित हो सकता है जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उनके अंकित मूल्य पर लिए गए हों और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किए गए हों, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या कोई अपराध नहीं बनता है आरोपी के खिलाफ मामला और जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफआईआर के साथ अन्य सामग्री में आरोप, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करता है, तो एक आदेश के अलावा संहिता की

धारा156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है। संहिता की धारा 155(2) के दायरे में एक मजिस्ट्रेट ।

2 एआईआर 1960 एससी 866 3 1992 सप्लिमेंट (1) एससीसी 335

9. **एमपी राज्य बनाम अवध किशोर गुप्ता और अन्य** के फैसले में , इस न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय इस बात की जांच नहीं कर सकता कि सबूत विश्वसनीय हैं या नहीं क्योंकि यह मुकदमे का कार्य होगा। अदालत। **डॉ मोनिका कुमार एवं अन्य** मे तथा बनाम उतर प्रदेश राज्य और अन्य। इस न्यायालय ने माना कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत निहित शक्ति का प्रयोग वैध अभियोजन को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। **शिजी उर्फ पप्पु और अन्य बेनाम राधिका और अन्य** में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार निर्णय दिया:

> *" .....सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति की प्रचुरता , उच्च न्यायालय के लिए इसे अत्यधिक सावधानी और सावधानी के साथ प्रयोग करना अनिवार्य बनाती है। शक्ति की चौड़ाई और प्रकृति ही मांग करती है कि इसका प्रयोग संयमित हो और केवल उन मामलों में जहां उच्च न्यायालय, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, स्पष्ट विचार रखता है कि अभियोजन जारी रखना प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं होगा। कानून। हमारे लिए उन स्थितियों की गणना करना न तो आवश्यक है और न ही उचित है जिनमें धारा 482(2004) 1 एससीसी 691 5 (2008) 8 एससीसी 781 6 एआईआर 2012 एससी 499 के तहत शक्ति का प्रयोग उचित हो सकता है। हमें बस इतना ही कहना है कि शक्ति का प्रयोग न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए होना चाहिए और केवल उन मामलों में जहां उस शक्ति का प्रयोग करने से इनकार करने पर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है।*

10. उपरोक्तानुसार सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग पर अधिकारियों पर इतना संक्षिप्त सर्वेक्षण करने के बाद , अब हम POCSO अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्यों का उल्लेख करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 15 , अन्य बातों के अलावा, राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति प्रदान करता है और अनुच्छेद 39(एफ) न केवल यह प्रदान करता है कि राज्य अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित होने के अवसर दिए जाएं और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि उनके बचपन और युवावस्था को शोषण और नैतिक और भौतिक परित्याग से बचाया जाए। संवैधानिक दायित्व को स्वीकार करते हुए और संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत मौलिक अवधारणा को ध्यान में रखते हुए और यह भी महसूस करते हुए कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को मौजूदा कानूनों द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है, POCSO अधिनियम लागू किया गया था। इसके तहत प्रावधानों से पता चलेगा कि इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि ऐसे अपराधियों को बख्शा न जाए और उनके खिलाफ उचित मामला दर्ज किया जाए।

11. स्वीकृत उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, POCSO अधिनियम के तहत अपराध की रिपोर्ट करने के लिए एक कानूनी दायित्व व्यक्ति पर डाला जाता है कि वह इसके तहत निर्दिष्ट संबंधित अधिकारियों को सूचित करे जब उसे पता हो कि अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है। ऐसा दायित्व उस व्यक्ति को भी दिया जाता है जिसे यह आशंका हो कि इस अधिनियम के तहत अपराध होने की संभावना है। धारा 19 के तहत इस तरह के कानूनी दायित्व को निभाने के अलावा , विधानमंडल ने इसके तहत दायित्व का निर्वहन करने में विफलता को धारा 21 के तहत दंडनीय बनाना समीचीन समझा। यह सच है कि धारा 21(1) के तहत, धारा 19 या धारा 20 की उप–धारा 1 के तहत किसी अपराध के घटित होने की रिपोर्ट करने में विफलता या धारा 19 की उप–धारा 2 के तहत ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने में विफलता को कारावास की सजा दी गई है। विवरण जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 21 की उप– धारा 2 में प्रावधान है कि कोई भी

व्यक्ति जो किसी कंपनी या संस्थान (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) का प्रभारी होने के नाते, अपने अधीनस्थ के संबंध में धारा 19 की उप–धारा 1 के तहत अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहता है। उसके नियंत्रण में, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माने से दंडनीय होगा। निश्चित रूप से, ऐसे प्रावधानों को POCSO अधिनियम के तहत प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शामिल किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है और उनके बचपन और युवावस्था को शोषण से बचाया जा सके।

12. ऊपर उल्लिखित दंडात्मक प्रावधानों को देखते हुए, धारा 19(1) के तहत दायित्व का निर्वहन करने में विफलता को केवल छोटी अवधि के लिए कारावास, यानी छह महीने के लिए दंडनीय बना दिया गया है, कोई सोच सकता है कि यह गंभीरता से लिया जाने वाला अपराध नहीं है।हालांकि हमारे अनुसार यह अपने आप मे धारा 19 के तहत कानूनी दायित्व का निर्वहन करने में विफलता के अपराध की गंभीरता या अन्यथा का परीक्षण नहीं है, जो POCSO अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय है । ***विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बेनाम भारत संघ और अन्य*** में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ एवं ***शंकर किशन राव खाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य*** के निर्णयों से हम अपने विचार मे मजबूत हुए हैं।

13. ***शंकर किसनराव खाड़े*** के मामले (सुप्रा) में फैसले में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने पैराग्राफ 77.5 और 77.6 में उचित अनुपालन के लिए कुछ निर्देश जारी किए और वे इस प्रकार पढ़ते हैं: –

> *"77.5. यदि अस्पतालों, चाहे सरकारी हो या निजी स्वामित्व वाले या चिकित्सा संस्थान जहां बच्चों का इलाज किया जा रहा है, को पता चलता है कि भर्ती किए गए बच्चों को यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है, तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम किशोर न्याय बोर्ड/एसजेपीयू और किशोर न्याय बोर्ड को दी जाएगी। एसजेपीयू के साथ परामर्श करके, बच्चे के हितों की सुरक्षा के लिए कानून के अनुसार उचित कदम उठाए जाने चाहिए।*
>
> *77.6. यह जानने के बाद कि 18 वर्ष से कम उम्र का एक नाबालिग बच्चा 7 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 929 8 (2013) 5 एससीसी 546 किसी भी यौन उत्पीड़न का शिकार हुआ है, किसी के द्वारा अपराध की रिपोर्ट न करना एक गंभीर अपराध है और रिपोर्ट न करके वे अपराधियों को कानूनी सज़ा से बचा रहे हैं और इसलिए उन्हें सामान्य आपराधिक कानून के तहत उत्तरदायी ठहराया जाएगा और कानून के अनुसार उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी।*

14. ***विजय मदनलाल चौधरी*** के मामले (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने कहा कि सजा की अवधि न केवल अपराध की गंभीरता का संकेतक है और इसे कारकों की समग्रता से आंका जाना चाहिए, विशेष रूप से उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जिसमें विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अपराध को विधायिका द्वारा मान्यता दी जाने लगी। इस संदर्भ में, यह नोट करना भी प्रासंगिक है कि बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, जिसे 11.12.1992 को भारत द्वारा अनुमोदित किया गया था, राज्य पार्टियों को प्रलोभन या जबरदस्ती को रोकने के लिए सभी उचित राष्ट्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपाय करने की आवश्यकता है। बच्चे को किसी भी गैरकानूनी यौन गतिविधि में शामिल करना, वेश्यावृत्ति या अन्य गैरकानूनी यौन प्रथाओं में बच्चों का शोषण करना आदि। कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 (2) और 34 ने राज्य पर बच्चे को सभी प्रकार की गतिविधियों से बचाने के लिए एक विशिष्ट कर्तव्य रखा है। यौन शोषण और दुर्व्यवहार.

15. POCSO अधिनियम के तहत अपराध के घटित होने की त्वरित और उचित रिपोर्टिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि इसके तहत किसी भी अपराध के घटित होने के बारे में पता चलने पर इसकी विफलता अधिनियम के मूल उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर देगी।. हम इसके तहत विभिन्न प्रावधानों

को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहते हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत आने वाले मामले में पीड़िता और आरोपी की मेडिकल जांच से कई अहम सुराग मिलेंगे। POCSO अधिनियम की धारा27(1) में प्रावधान है कि जिस बच्चे के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है,उसकी चिकित्सा जांच की जाएग,भले ही अधिनियम के तहत अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत दर्ज नहीं की गई हो। सीआरपीसी की धारा 164 ए के अनुसार आयोजित किया जाना चाहि,जो बलात्कार की पीड़िता की चिकित्सा जांच की प्रक्रिया प्रदान करता है । इस प्रासंगिक स्थिति में, सीआरपीसी० की धारा 53ए का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है जो एक चिकित्सक द्वारा बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जांच का आदेश देता है। यह भी एक तथ्य है कि बलात्कार के मामलों में पक्षकारों के कपड़े भी बहुत विश्वसनीय सबूत पेश करेंगे। हम उपरोक्त प्रावधानों का उल्लेख केवल इस तथ्य पर जोर देने के लिए कर रहे हैं कि POCSO अधिनियम के तहत किसी अपराध की त्वरित रिपोर्ट करने से संबंधित पीड़ित की तत्काल जांच हो सकेगी और साथ ही, यदि यह किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया था, तो यह भी संभव होगा। यह जांच एजेंसी को समय बर्बाद किए बिना जांच शुरू करने और अंततः अपराधी की गिरफ्तारी और चिकित्सा जांच सुनिश्चित करने में भी सक्षम बनाता है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि यौन अपराधों के संबंध में चिकित्सीय साक्ष्यों का बहुत अधिक पुष्ट महत्व होता है।

16. सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग, POCSO अधिनियम के तहत दंडात्मक और प्रक्रियात्मक प्रावधानों के संबंध में स्थिति को ध्यान में रखते हुए , हम मामले पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

17. मामले में दर्ज की गई एफआईआर से पता चलता है कि यह अज्ञात व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ नाबालिग आदिवासी लड़कियों के खिलाफ यौन अपराध के संदिग्ध कमीशन के बारे में पता चलने पर दर्ज की गई थी। POCSO अधिनियम के तहत अपराध के बारे में जानकारी होने के बावजूद रिपोर्ट करने में विफलता, आरोप–पत्र से प्रतिवादी के खिलाफ सामने आया आरोप है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, एफआईआर से POCSO अधिनियम के तहत अपराध की सामग्री का पता चलता है और जांच के दौरान इसकी वास्तविक भयावहता का पता चला। जांच पूरी होने पर, एकत्र की गई सामग्रियों के आधार पर, संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने एक राय बनाई कि जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, एक संज्ञेय अपराध किया गया प्रतीत होता है और इसमें प्रतिवादी सहित नामित व्यक्ति शामिल हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने उनके खिलाफ निर्दिष्ट अपराध किए हैं और उन पर मुकदमा चलाने के लिए धारा 173(2) के तहत अंतिम रिपोर्ट दायर की है ।यह कथित एफआईआर दिनांक 12.04.2019 और कथित आरोपपत्र दिनांक 08.06.2019 है, जिन्हें रद्द करने की मांग की गई थी और परिणामस्वरूप आक्षेपित निर्णय के अनुसार रद्द कर दिया गया था।

18. यदि एफआईआर और एकत्र की गई सामग्री संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है और अंतिम रिपोर्ट सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत दर्ज की जाती है । इसके आधार पर जांच पूरी होने पर पता चलेगा कि POCSO अधिनियम के तहत अपराध का गठन करने की सामग्री और उसमें आरोपी के रूप में नामित व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला, साक्ष्य की सत्यता, पर्याप्तता या स्वीकार्यता के दायरे में आने वाले मामले नहीं हैं। सीआरपीसी की धारा482 के तहत शक्ति का प्रयोग और निस्संदेह वे मुकदमे के समय ट्रायल कोर्ट द्वारा किए जाने वाले मामले हैं। यह स्थिति ऊपर संदर्भित निर्णयों से स्पष्ट है।

19. **एमएल भट बनाम एमके पंडिता** के फैसले में , इस अदालत ने माना कि एफआईआर को रद्द करने के सवाल पर विचार करते समय उच्च न्यायालय जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों की जांच करने का हकदार नहीं होगा, जिसमें दर्ज किए गए बयान भी शामिल हैं। धारा 161 ,सीआरपीसी **राजीव कौरव बनाम बाईसाहब और अन्य** के फैसले में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने उन मामलों पर विचार किया, जिन पर धारा 482 के तहत रद्दीकरण कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है। सीआरपीसी में यह माना गया था कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किये गये गवाहो के बयान साक्ष्य मे पूरी तरह से अस्वीकार्य होने के कारण धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर याचिका पर फैसला सुनाते समय अदालत द्वारा उस पर विचार नहीं किया जा सकता था। इस तथ्य पर ध्यान दें कि उच्च न्यायालय को पता था कि गवाहों में से एक ने उल्लेख किया था कि मृतक–पीड़िता ने उसे आरोपियों द्वारा उत्पीड़न के बारे में सूचित किया था, जिसे वह सहन करने में सक्षम नहीं थी और इसलिए आत्महत्या करना चाहती थी। यह पाते हुए कि उस मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का उच्च न्यायालय का निष्कर्ष सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों के मूल्यांकन के आधार पर था, यह माना गया कि उसके तहत दिए गए बयान, साक्ष्य में पूरी तरह से अस्वीकार्य होने के कारण नहीं हो सकते थे। धारा 482 सीआरपीसी आईटी 10 (2020) 3 एससीसी 317 के तहत दायर एक याचिका पर फैसला सुनाते समय न्यायालय ने यह भी माना कि उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों का आकलन करके कार्यवाही को रद्द करने में त्रुटि की है।

20. इस स्थिति के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि सीआरपीसी की धारा161 के तहत दर्ज किए गए बयान साक्ष्य में अस्वीकार्य हैं और इसका उपयोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145 और 157 के तहत प्रदान किए गए उद्देश्यों के लिए सीमित है। तथ्य की बात, सीआरपीसी की धारा164 के तहत बयान दर्ज किया गया । इसका उपयोग केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है।

21. वर्तमान मामले में, आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ संख्या 10 में दिए गए कथनों की स्कैनिंग से निस्संदेह इस तथ्य का पता चलेगा कि उच्च न्यायालय ने पीड़ितों के एक शिक्षक के बयान और साथ ही उनके बयानों को पढ़ने

के बाद एक राय बनाई थी। पीड़ितों ने कहा कि यौन उत्पीड़न का पता केवल सामान्य अस्पताल, चंद्रपुर से चला और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रतिवादी को पीड़ितों पर किए गए यौन उत्पीड़न के बारे में अवगत नहीं कराया गया था और उक्त अपराध में उसे फंसाने के लिए कोई सबूत नहीं है। आक्षेपित निर्णय का पैराग्राफ संख्या 10 इस प्रकार है: –

*"उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हमने पीड़ितों के बयानों का अध्ययन किया है जिन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा संदर्भित किया गया है। बयानों से पता चलता है कि आवेदक ने पीड़ितों की जांच की थी। उनकी हालत ख़राब हो रही थी. इसलिए, उन्हें सामान्य अस्पताल, चंद्रपुर भेजा गया। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि आवेदक को पीड़ितों पर किए गए यौन उत्पीड़न के बारे में अवगत कराया गया था। इसके विपरीत, पीड़ितों के शिक्षक के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि यौन उत्पीड़न का पता केवल जनरल अस्पताल, चंद्रपुर में ही चला था। इसलिए, हमारा विचार है कि आवेदक को उक्त अपराध में फंसाने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसलिए, आवेदक के खिलाफ कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।"*

(महत्व जोड़ें)

22. इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ संख्या 10 से निकाले गए उपरोक्त पाठों के अवलोकन से पता चलेगा कि उच्च न्यायालय ने अस्तित्व के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा उद्धृत पीड़ितों/गवाहों के बयानों का अध्ययन किया था। या अन्यथा प्रतिवादी के विरुद्ध साक्ष्य। ऊपर उल्लिखित प्रावधानों और **एमएल भट्ट** के मामले (सुप्रा) और **राजीव कौरव** के मामले (सुप्रा) में निर्णयों सहित कई निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य हैं और इसलिए, ऐसा नहीं किया जा सकता है। ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए इसे आधार बनाया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एफआईआर में यौन उत्पीड़न का संदेह है और आरोप पत्र में POCSO अधिनियम के तहत ऐसे अपराध की रिपोर्ट न करने के संबंध में प्रतिवादी के खिलाफ प्रथम दृष्टया खुलासा किया गया है। अपीलकर्ता का मामला यह है कि सत्रह पीड़ितों में से कुछ ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान दिए हैं । और कुछ अन्य लोगो ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत , विशेष रूप से कहा कि प्रतिवादी को उन पर यौन हमले के बारे में सूचित किया गया था। जब स्थिति यही है, तो हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय को जांच शुरू नहीं करनी चाहिए थी, विशेष रूप से दर्ज किए गए पीड़ितों और उनके शिक्षक के बयानों को देखकर प्रतिवादी को जोड़ने के लिए सबूत की उपलब्धता के संबंध में एक राय बनानी चाहिए थी। अपराध। यह सच है कि अन्य आरोपियों के संबंध में एफआईआर और आरोप पत्र अभी भी बरकरार हैं। लेकिन फिर भी, जानकारी के बावजूद किसी नाबालिग बच्चे के खिलाफ यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट न करना एक गंभीर अपराध है और अक्सर यह यौन उत्पीड़न के अपराध के अपराधियों को बचाने का एक प्रयास है। जैसा भी हो, शंकर किसन राव खाड़े के मामले (सुप्रा) में निर्णय के मद्देनजर ऐसे अपराध की रिपोर्ट न करने को गंभीर माना गया और POCSO की धारा 19(1) और 21 के संयुक्त पढ़ने से प्राप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिनियम, ऐसे व्यक्तियों पर भी कानून के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। इस संदर्भ में, उक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई एक टिप्पणी का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि माता–पिता के अधिकार क्षेत्र के तहत इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह POCSO अधिनियम के तहत प्रावधानों के अनुपालन के लिए निर्देश दे।

23. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करने और उसे कायम रखने का प्रयास करते हुए तर्क दिया कि यह **एएस कृष्णन और अन्य केरल राज्य** में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए दिया गया था। और उक्त निर्णय के अनुसार, प्रतिवादी पर POCSO अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के अपराध के बारे में जानकारी होने के बावजूद रिपोर्ट करने में विफल रहने का आरोप नहीं लगाया जा सकता था। निर्णय का अध्ययन करने पर, हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि उक्त निर्णय एक से अधिक कारणों से इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पूरी तरह से अनुपयुक्त है। सबसे पहले, उक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि ज्ञान के पक्ष पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था, ना कि ज्ञान के निष्कर्ष की सत्यता या अन्यथा की जांच करने और धारा482 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही को रद्द करने के चरण में। . इस तथ्य के मामले मे, आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 471 420 के तहत अपीलकर्ताओं की सजा के खिलाफ अपील में इस पर विचार किया गया था । यह न्यायालय आईपीसी की धारा 471 के तहत आने वाली अभिव्यक्ति 'जानता है या विश्वास करने का कारण है' पर विचार कर रहा था और *"ज्ञान"* और "*विश्वास करने का कारण"* शब्दों के अर्थ समझाते हुए इस न्यायालय ने कहा:

> '9. *आईपीसी के तहत , लगभग सभी अपराधों के संबंध में अपराध या तो "इरादे" या "ज्ञान" या "विश्वास करने का कारण" के आधार पर तय किया जाता है। अब हम "ज्ञान" और "विश्वास करने का कारण" अभिव्यक्तियों से चिंतित हैं। "ज्ञान" संबंधित व्यक्ति की ओर से उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाने वाली जागरूकता है। विश्वास करने का कारण" मन की स्थिति का एक और पहलू है। "विश्वास करने का कारण" "संदेह" या "संदेह" के समान नहीं है और केवल देखने को भी विश्वास करने के बराबर*

*नहीं किया जा सकता है। "विश्वास करने का कारण" मन की स्थिति का एक उच्च स्तर है। इसी तरह "ज्ञान" "विश्वास करने के कारण" से थोड़ा ऊंचे स्तर पर होगा। एक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह यह जान ले कि उसकी इंद्रियों को सीधा आकर्षण कहां है और यह माना जाता है कि किसी व्यक्ति के पास विश्वास करने का कोई कारण है यदि उसके पास इस पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हैं। आईपीसी की धारा 26* "विश्वास करने का कारण" शब्दों का अर्थ इस प्रकार बताती है:

*"26. 'विश्वास करने का कारण'। – ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के पास किसी चीज़ पर 'विश्वास करने का कारण' है, यदि उसके पास उस चीज़ पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है, लेकिन अन्यथा नहीं।'*

(जोर दिया गया)

प्रासंगिक स्थिति में, उक्त निर्णय के पैरा 8 से निम्नलिखित कथन का उल्लेख करना भी उचित है:

*"क्या आरोपी को पता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि प्रश्न में दस्तावेज़ जाली है, इसका फैसला सामग्री के आधार पर किया जाना चाहिए और उस संबंध में दर्ज निष्कर्ष अनिवार्य रूप से तथ्यात्मक है"।*

मौजूदा मामले में, पीड़ितों के बयानों और पीड़ितों के शिक्षक के बयानों को देखने के बाद उच्च न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा कि प्रतिवादी को अपराध में फंसाने के लिए सबूतों का अभाव है, जिसका सहारा लेना बिल्कुल अस्वीकार्य है।

24. प्रतिवादी के उपरोक्त तर्क को अस्वीकार करने का एक और कारण है। हमने अनुलग्नक– A1 से A8 तक का अवलोकन भी नहीं किया होगा, जो सीआरपीसी की धारा 161/164 के तहत दर्ज किए गए कुछ पीड़ितों के बयान हैं , जो दिनांक 20.4.2021 के आक्षेपित निर्णय से बहुत पहले दर्ज किए गए थे, अर्थात वर्ष 2019 में। अपने आप। हम ऐसा केवल उच्च न्यायालय के निष्कर्ष की सत्यता को सत्यापित करने के लिए करते हैं ताकि ऐसे बयान अपराध के कमीशन के बारे में प्रतिवादी के ज्ञान का संकेत देने वाली किसी भी चीज़ का खुलासा न करें। संक्षेप में, उन बयानों में पीड़ितों द्वारा अपने ऊपर हुए यौन उत्पीड़न के बारे में प्रतिवादी को बताने का जिक्र था। हम पुनरावृत्ति के जोखिम पर यह कहने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि ऐसे बयान सीआरपीसी की धारा 161/164 के तहत दर्ज किए जाएंगे । साक्ष्य में अस्वीकार्य हैं, जैसा कि **एमएल भट्ट** के मामले (सुप्रा) और **राजीव कौरव** के मामले (सुप्रा) में माना गया है। उपरोक्त उपलब्ध परिस्थितियो के आलोक मे और साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 के आलोक में , उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की कार्यवाही को अचानक समाप्त करना उचित नहीं था। उपरोक्त चर्चा से पता चली स्थिति हमें यह मानने के लिए बाध्य करती है कि ऊपर उल्लिखित अपराध के लिए प्रतिवादी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है और इसलिए, अपील सफल होने के लिए उत्तरदायी है।

25. ऊपर उल्लिखित निर्णयों और प्रावधानों के आलोक में, आक्षेपित निर्णय के परिणामस्वरूप कथित एफआईआर और आरोप–पत्र को रद्द कर दिया गया, जिससे अभियोजन पक्ष का गला घोंट दिया गया, इसके समर्थन में सामग्री को प्रकाश में आने की अनुमति नहीं दी गई। दिन को न्याय के हितों को सुरक्षित करने के लिए की गई एक कवायद नहीं कहा जा सकता, जबकि यह केवल कहा जा सकता है कि इस तरह की कवायद के परिणामस्वरूप न्याय का गर्भपात हुआ।

26. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया जाता है और तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।